राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन राज. जयपुर

क्रमांक : एफ.वी()/कम्प्यू/सम्पर्क/2015/ 625-626 दिनांक 7-10-15

परिपत्र

विषयः– **राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण के संबंध में ।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है जैसा कि आपको बार–बार सूचित किया गया है फिर भी आपके कार्यालय में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की अवधि जो सरकार द्वारा निर्धारित (अधिकतम 30 दिन) की गई थी, समाप्त हो चुकी हैं । उससे कहीं अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी निदेशालय से प्रेषित पत्र/यू0ओ0नोट और ई–मेल के बाद भी आप द्वारा प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में गम्भीरता नहीं बरती है।

सम्पर्क पोर्टल पर कार्य के स्टेपों के संबंध निम्नलिखित विधि अपनावें –

1. प्रति दिन नियमित रुप से प्रातः सम्पर्क पोर्टल का अपने स्तर पर अवलोकन करें और नीचे दिये गये ग्रुप को चैक करें कि उन ग्रुप में कोई नम्बर हो तो उन्हें क्लिंक करें और पूरे प्रकरण को देखें । ग्रुप का विवरण निम्नानुसार है :–
   a) INBOX (i) Allocate to me
      (ii) Replied to me
      (iii) Pending for Disposal
   b) OUTBOX -> Allocated by me -> Reply Awaited
   c) PENDENCY STATUS
      Click Total Pendency -> Click you district -> Click Grievance
2. यदि कोई शिकायते आपसे संबंधित नहीं हैं और आपको Allot कर दी गई हैं तो आप अन्य को Allot न करें । आप केवल Reply option से जिससे/जहां से संबंधित हैं उसके लिए लिख कर प्रेषक लौटा दें । इसे Pending रखकर समय खराब न करें ।
3. सभी शिकायतें जो अन्य विभाग से संबंधित हो उन्हें भी आप यदि Transfer Option उपलब्ध हो तो उससे अथवा Reply option से जिससे/जहां से संबंधित हैं लिखकर भिजवा दें । जैसे a) अवारा जानवर पकडवाना b) जमीन allot करवाना c) मृत जानवर उठवाना d) वन्य प्राणीयों के संबंध में e) अन्य कार्य जो पशुपालन विभाग से संबंधित न हो ।
4. यदि आपके माध्यम से प्राप्त शिकायतें, प्रति उतर के लिए अन्य कार्यालय में प्रेषित/लम्बित हो तो उन्हें व्यक्तिगत प्रयासों से निस्तारण करवायें ।
5. जिन प्रकरणों में अभी भी और समय लगना सम्भावित हो उनकी भी सूचनाएं अवधि अंकित करते हुए कारण सहित पृथक से प्रस्तुत करें ।

किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में श्री गजेन्द्र सिंह राव प्रोग्रामर से 9024895919 पर बात कर शंका निवारण करें, परन्तु ध्यान रहे कि दिनांक 14.10.2015 को माननीय शासन सचिव महोदय द्वारा ली जाने वाली समीक्षा बैठक से पूर्व समस्त बकाया प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें।

निदेशक